रजिस्ट्री सं० डी० (डी० एन०)—73

REGISTERED No. D. (D.N.)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शनिवार, मई 15, 1982/वैशाख 25, 1904

No. 20] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15, 1982/VAISAKHA 25, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 1982

सा०का०नि० 438.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग), राजभाषा खंड (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1979 का और संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) राजभाषा खंड (समूह "ख" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) राजभाषा खंड (समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1979 की अनुसूची में—

(i) क्रमश: अधीक्षक (मुद्रण) (हिन्दी शाखा) और पुस्तकाध्यक्ष (हिन्दी शाखा) के पद से संबंधित क्रम सं० 3 और 4 के सामने, —

(क) स्तम्भ 3 में विद्यमान प्रविष्टि "1" के स्थान पर

"1 (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

(ख) स्तम्भ 7 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जायगी, अर्थात् :—

"30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकारी सेवकों के लिये 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण:—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अण्डमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी)"

(ग) स्तम्भ 14 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"सीधी भर्ती करते समय और किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है ;

(ii) अधीक्षक (मुद्रण) (हिन्दी शाखा) के पद से संबंधित क्रम सं० 3 के सामने—

(क) स्तंभ 8 में टिप्पण 2 के नीचे विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जायगी, अर्थात् :—

"वांछनीय :—

किसी मान्यताप्राप्त संस्था से मुद्रण प्रौद्योगिकी उपाधि या डिप्लोमा या समतुल्य";

(ख) स्तंभ 9 में विद्यमान प्रविष्टि के स्थान पर "नहीं" प्रविष्टि रखी जाएगी ;

9	10	11	12	13	14
			elementary literacy and ability to read either Hindi or English or regional language.	2. Under Secretary (Lands), Ministry of Works and Housing —Member 3. Any other Under Secretary— Member. 4. Administrative Officer, Land and Development Office —Member.	

[No. A-12018/1/81-LD]
S. MUKHERJEE, Desk Officer.
(Lands)

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 22 अप्रैल, 1982

सा॰का॰नि॰ 458 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आकाशवाणी, नई दिल्ली (ज्येष्ठ मानचित्रकार) भर्ती नियम, 1980* का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आकाशवाणी, नई दिल्ली (ज्येष्ठ मानचित्रकार) भर्ती (संशोधन) नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. आकाशवाणी, नई दिल्ली (ज्येष्ठ मानचित्रकार) भर्ती नियम, 1980 के स्तम्भ 6 के नीचे की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात् :—

"30 वर्ष से अधिक नहीं। (सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण :—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में रहने वाले अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।"

*मूल नियम, सा॰का॰नि॰सं॰ 1097 तारीख 18 अक्तूबर, 1980 द्वारा अधिसूचित किए गए थे और नियमों में तत्पश्चात कोई संशोधन नहीं किया गया है।

[सं॰ 12019/1/78-बी॰(ए॰) (भाग III)]
आर॰डी॰ जोशी, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 22nd April, 1982

G.S.R. 458.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following Rules to amend the All India Radio, New Delhi (Senior Cartographer) Recruitment Rules, 1980, *namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio, New Delhi (Senior Cartographer) Recruitment (Amendment) Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio, New Delhi (Senior Cartographer) Recruitment Rules, 1980, for the entry under column 6 the following entry shall be substituted, namely :—

"Not exceeding 30 years. (Relaxable upto 5 years for Government servants).

Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman, Nicobar Islands and Lakshadweep)".

*The Principal rules were notified vide G.S.R. No. 1097 dated the 18th October, 1980, and no subsequent amendment has been issued to the rules.

[No. 12019/1/78-B(A)Pt. III]
R. D. JOSHI, Under Secy.

नई दिल्ली, 16 अप्रैल, 1982

सा॰का॰नि॰ 459 —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सूचना और प्रसारण मंत्रालय के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय में उप निदेशक ('बाह्य प्रचार) के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने वाले निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का नाम विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय (उप निदेशक बाह्य प्रचार) भर्ती नियम, 1982 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद, संख्या वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या उसका वर्गीकरण और उसके वेतनमान वे होंगे जो इससे उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 तक में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अर्हताएं :—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे सम्बन्धित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 तक में विनिर्दिष्ट है।

4. निरर्हताएं :—वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित होते हुए, किसी व्यक्ति से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार मौजूद हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. नियम शिथिल करने की शक्ति :—जहां केन्द्रीय सरकार की राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :—इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार इन उम्मीदवारों के लिए जो अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों से सम्बन्धित उपबन्ध करना अपेक्षित है।